

उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985

(नवम्बर, 2023 तक के संशोधनों सहित)

साथ में

उर्वरक (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1973

और

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955



फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इण्डिया

एफ.ए.आई. भवन, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग

नई दिल्ली - 110067

CIN : U85300 DL 1955 NPL 002999

फोन: 011-26567144/46005234/46005221, फैक्स: 011-26960052

ईमेल: acctt@faidelhi.org, ags@faidelhi.org, pr@faidelhi.org

वेब साइट: www.faidelhi.org

प्रथम प्रकाशन : अगस्त, 1986
द्वितीय संस्करण : अगस्त, 2011
तृतीय संस्करण : नवम्बर, 2023

मूल्य 300 रुपये + पैकिंग, हैंडलिंग व पोस्टेज
के लिए 50 रुपये अतिरिक्त

किसी गलती या भूल से बचने के सभी प्रयत्नों के बावजूद गलतियाँ या भूल होने की अनिच्छित संभावना हो सकती है। एफ.ए.आई., किसी भी व्यक्ति, चाहे खरीदार हो या नहीं, के किसी भी तरह के नुकसान या घाटे के लिए व इस किताब—वस्तु के आधार पर की गई किसी कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

मुद्रित: रैकमो प्रेस प्रा. लिमिटेड
सी-59, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फैस-1,
नई दिल्ली-110020

विषय—सूची

उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित (नियन्त्रण)

आदेश, 1985

1

अनुसूची—I

भाग—क — उर्वरकों के विनिर्देश	46
भाग—ख — पादप पोषक तत्व में सहन सीमा तथा विभिन्न उर्वरकों के लिए भौतिक परिमाप	98

अनुसूची—II

भाग—क — उर्वरकों के नमूना लेने की प्रक्रिया	99
भाग—ख — उर्वरकों के विश्लेषण की पद्धति	111

अनुसूची—III

भाग—क — जैव उर्वरकों के विनिर्देश	279
भाग—ख — जैव उर्वरकों के लिए सहनसीमा	284
भाग—ग — जैव उर्वरकों के नमूना लेने की प्रक्रिया	284
भाग—घ — जैव उर्वरकों के विश्लेषण की पद्धति	286

अनुसूची—IV

भाग—क — जैविक उर्वरक का विनिर्देशन	337
भाग—ख — कार्बनिक उर्वरकों की सहनसीमा	344
भाग—ग — कार्बनिक उर्वरकों के नमूने लेने की प्रक्रिया	344
भाग—घ — कार्बनिक उर्वरकों के विश्लेषण की पद्धति	345

अनुसूची—V

भाग—क — अखाद्य तेल रहित खली की साधारण विशिष्टियाँ	358
भाग—ख — अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरकों की सहन सीमा	358
भाग—ग — अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरकों के नमूना लेने की प्रक्रिया	359
भाग—घ — अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरक के लिए विश्लेषण की प्रक्रिया	359

अनुसूची—VI	363
भाग—क — जैव प्रेरक के विनिर्देश	363
भाग—ख — सहन सीमा	363
भाग—ग — जैव प्रेरक का नमूना लेने की प्रक्रिया	363
भाग—घ — परीक्षण की कार्यपद्धति	365
अनुसूची—VII	366
नैनो उर्वरक के सामान्य विनिर्देश	366
पंजीकरण प्रारूप	368
परिशिष्ट — सूचनाएं / आदेश	
परिशिष्ट 1— Exemptions of Dealers	411
परिशिष्ट 2— आधानों पर चिन्हांकन	413
परिशिष्ट 3— प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपस्करों की सूची	418
परिशिष्ट 4— उर्वरक नियन्त्रण आदेश के उल्लंघन के लिए संक्षिप्त विचारण	424
परिशिष्ट 5— प्रमाणपत्र प्राप्ति के लिए फीस	425
परिशिष्ट 6— उर्वरक नियन्त्रक व सलाहकार समिति	426
परिशिष्ट 7— सौ प्रतिशत घुलनशील मिश्रण के लिए साधारण विशिष्टियां	433
परिशिष्ट 8— अनंतिम उर्वरक	435
45 कि.ग्रा. यूरिया व 45 कि.ग्रा. जिंकेटेड यूरिया थैले की अधिकतम कीमत	446
परिशिष्ट 9— कस्टमाइज्ड उर्वरक	451
उर्वरक (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1973	459
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	463

आमुख

उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश (एफ.सी.ओ) 1957 में उर्वरकों की बिक्री, मूल्य और गुणवत्ता को नियमित करने के लिए लागू किया गया था। इस आदेश में 1957 से 1985 तक लगभग सत्तर (70) संशोधन किए गए थे। इसके फलस्वरूप, आदेश के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा की गयी और 1957 के आदेश की जगह एक व्यापक संशोधित आदेश 25 सितम्बर, 1985 से लागू किया गया जिसे उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 के नाम से जाना जाता है।

उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 का हिन्दी में पहला संस्करण दि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा जुलाई, 1986 में और दूसरा संस्करण जुलाई, 2011 में प्रकाशित किया गया। एफ.सी.ओ. एक गतिशील आदेश है जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। वर्तमान संस्करण में नवम्बर 2023 तक के सभी संशोधनों को सम्मिलित किया गया है जिनमें जैव उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक, अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरक, जैव प्रेरक व नैनो उर्वरक भी शामिल हैं।

उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 में उर्वरक (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1973 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (अधिनियम संख्या 10, 1955) की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी अब तक के संशोधनों सहित साथ में प्रकाशित किया गया है।

अरविन्द चौधरी

महानिदेशक

नई दिल्ली
नवम्बर, 2023

दि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया